बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

BIADA
प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004
Website-www.biadabihar.in ,Email- biada-bih@gov.in Phone: 0612-22675998/2675998/Fax 2675296

कार्यालय आदेश

सर्वश्री शमा फूड प्रोडक्ट्स को औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में कार्यालय पत्रांक 1652/डी दिनांक 10.06.2020 द्वारा Shed No. C-5, C-6 & C-7 रकवा 8250 वर्गफीट भूमि का आवंटन Namkeen Bhujia, Mixture, Kurkure, Puff, Pasta etc के उत्पादन संबंधी उद्योग स्थापित करने हेतु किया गया।

भू–आवंटन पत्र में निहित कंडिका 20A(b) के अनुसार इकाई को आवंटित भूमि का प्रथम किस्त (30 प्रतिशत) की राशि का भुगतान आवंटन पत्र के निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर करना था। उद्यमी द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण कार्यालय पत्रांक 2280/डी दिनांक 30.07.2020 एवं पत्रांक 3622/डी दिनांक 05.12.2020 द्वारा प्रथम किस्त की राशि जमा करने हेतु पत्र निर्गत किया गया, परन्तु उद्यमी द्वारा अद्यतन प्रथम किस्त (30 प्रतिशत) की राशि का भुगतान नहीं किया गया। जो भू–आवंटन पत्र के नियम एवं शर्तो के प्रतिकूल है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में भू–आवंटन पत्र में निहित शर्तो, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974, बियाडा (संशोधन) अधिनियम 1991 की धारा 6(2)(a), बियाडा संशोधन अधिनियम 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत्त सर्वश्री शमा फूड प्रोडक्ट्स को औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में कार्यालय पत्रांक 1652/डी दिनांक 10.06.2020 द्वारा Shed No. C-5, C-6 & C-7 रकवा 8250 वर्गफीट भूमि आवंटन रद्द किया जाता है।

रद्द किये गये भूमि पर भविष्य में उद्यमी एवं उसके रिश्तेदार का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

प्रबंध निदेशक के आदेश
दिनांक 01.01.2021
ह0/–
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञापांकः–.................. **दिनांक**....................

प्रतिलिपिः–मो0 फैयाज खान, पिता–मो0 नसीमउद्दीन खान, पता–इस्लाम टोली, औरंगाबाद, बिहार–824101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञापांक 156/D **दिनांक** 15/01/2021

प्रतिलिपिः–~~आई0~~टी0 शाखा, बियाडा, पटना /अमीन, बियाडा, पटना/प्रतिवेदन, विकास शाखा, पटना/ क्षेत्रीय प्रभारी, औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के संदर्भ में आँकड़ा अद्यतन कर लें।

12-1-21
कार्यकारी निदेशक।